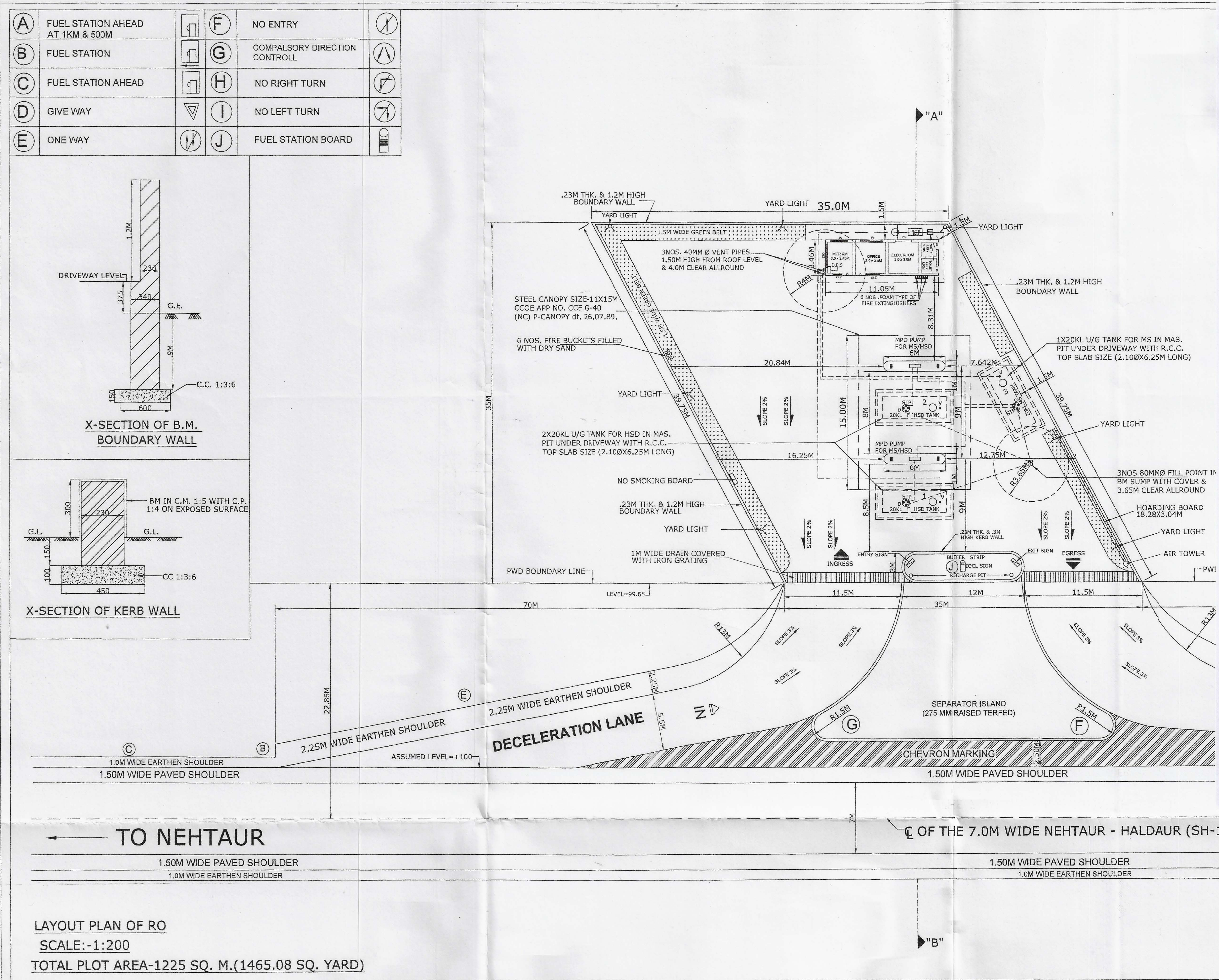

कार्यालय मुख्य अभियन्ता
मुरादाबाद क्षेत्र, लो0नि0वि0, मुरादाबाद

(2)

पत्रांक :- 258 /154एम(रामपुर)-मु0क्षे0/20-21 दिनांक- 19.1.21

डायरी क्रमांक 3544
फाईल नं0 1410
दिनांक 30/01/21

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
बिजनौर।

विषय :- मैसर्स इण्डियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मुरादाबाद मण्डल कार्यालय मुरादाबाद को खसरा संख्या-24 के हिस्से वाली भूमि, ग्राम ज्योठी (एस0एच0-12), तहसील-धामपुर पर प्रस्तावित ग्रामीण रिटेल आउटलेट (पैट्रोल/डीजल पम्प) स्थापित करने हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :- अधीक्षण अभियन्ता, रामपुर वृत, लो0नि0वि0, रामपुर का पत्रांक-60/20काम-रा0वृत/20-21 दिनांक 06.01.2021

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र द्वारा की गयी संस्तुति के क्रम में रिटेल आउटलेट की स्थापना हेतु आवेदक द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों यथा प्रार्थना-पत्र, भू-अभिलेख, चेकलिस्ट एवं मानचित्र के आधार पर अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने की संस्तुति निम्न प्रतिबन्धों/शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है।

1. मार्ग के मध्य बिन्दु से दोनो ओर 220 फीट की दूरी तक कोई भी स्थायी निर्माण न किया जाये।
2. प्रस्तावित निर्माण स्थल पर मार्ग के मध्य बिन्दु से मानचित्र में दर्शायी गयी 22.86 मी0 की दूरी के बाद ही अस्थायी निर्माण किया जाये। (विस्तृत मानचित्र संलग्न)
3. विभिन्न मद का निर्माण कार्य गाईडलाइन के पृष्ठ सं0-20 के अनुसार मानचित्र में दर्शायी गयी माप एवं मानक विशिष्टियों के अनुरूप ही सम्पादित किया जाये।
4. समस्त निर्माण, मार्ग की स्थाई भूमि के बाहर अनुमोदित नक्शे के अनुसार किया जाये तथा निर्माण सामग्री का एकत्रीकरण मार्ग की स्थायी भूमि पर कदापि न किया जाये।
5. प्रस्तावित स्थल पानीपत-खटीमा मार्ग (राज्य मार्ग सं0-12) के चैनेज 150.481 के दायीं ओर स्थित है।
6. प्रस्तावित निर्माण स्थल पर आने जाने हेतु पहुँच मार्ग का निर्माण (संलग्न मानचित्र) के अनुसार निर्धारित मानकों के अनुसार आवेदक को स्वयं अपने निजी व्यय पर करना होगा।
7. रिटेल आउटलेट से पानी की समुचित निकासी हेतु पुलिया व नाली के निर्माण से सम्बन्धित ले आउट प्लान, पुलिया व नाली की परिकल्पना लोक निर्माण विभाग की विशिष्टियों के अनुसार की जाये तथा इसका अनुमोदन कार्य कराने से पूर्व सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता से कराना होगा।
8. रिटेल आउटलेट की स्थापना के फलस्वरूप यातायात की सुरक्षा हेतु आवश्यक साईनबोर्ड एवं रोड मार्किंग की व्यवस्था आवेदक को निजी व्यय पर कराना होगा।
9. भू-स्वामित्व का विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में प्रस्तावित स्थल पर रिटेल आउटलेट की स्थापना हेतु दी गयी अनापत्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी, भूमि के स्वामित्व का परीक्षण राजस्व विभाग द्वारा ही किया जाना है।
10. लोक निर्माण विभाग मार्ग के चौड़ीकरण के समय यदि पहुँच मार्ग का निर्माण कार्य हेतु पम्प आदि को शिफ्ट करने की आवश्यकता हुई तो प्रार्थी को अपने खर्चे पर ही कार्य कराना होगा। इस क्षति के लिये किसी भी प्रकार का मुआवजा नहीं दिया जायेगा। उक्त परिस्थिति में निर्गत अनापत्ति स्वतः निरस्त हो जाएगी तथा आवेदन को पुनः अनापत्ति प्राप्त करना होगा।
11. मार्ग के प्रयोग में लाये जाने हेतु यदि भविष्य में कोई किराया निर्धारित किया जाता है तो उसका वहन सम्बन्धित कम्पनी द्वारा किया जायेगा।
12. अनापत्ति प्रमाण पत्र लाईसेंस डीड के हस्ताक्षर उपरान्त 10 वर्ष के लिए वैध होगा। लीज डीड के वैधता तिथि के 06 माह पूर्व नवीनीकरण हेतु आवेदक का समस्त दस्तावेजों सहित पुनः आवेदन करना होगा।

J.E.(T) 29/1/21

G:\Dk\World\Petrol Pamp doc

छायाप्रति प्रमाणित
सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0, बिजनौर

(3)

13. शासनादेश में निहित प्राविधानुसार लाइसेंस फीस रू0 3.00 लाख एवं प्रोसेसिंग फीस रू0 10,000.00 जमा करायी जाये।
14. शासन एवं मुख्य अभियन्ता (मु0 2) कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लो0नि0वि0, लखनऊ द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य होगा।
15. नीति निर्देशों को उच्च स्तर से किन्हीं अन्य प्रकार से व्याख्यापित किया जाता है, तो उक्त अनापत्ति स्वतः निरस्त हो जायेगी।
16. शासनादेश सं0-1882/23-12-19-1365/17टी0सी0 दिनांक 04 दिसम्बर, 2019 द्वारा निर्गत गाइडलाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य होगा।
17. पहुंच मार्ग के निर्माण की विशिष्टियाँ शासनादेश में निहित व्यवस्थानुसार प्राविधानित किया जाएगा। विशिष्टियाँ एवं इसके प्रयोग की जाने वाली सामग्री की विशिष्टियाँ को सम्बन्धित खण्ड के अधिशासी अभियन्ता से पूर्व से ही अनुमोदित कराना होगा।
18. भविष्य में मार्ग की श्रेणी में यदि कोई परिवर्तन होता है तो अनापत्ति पर तत्सम्बन्धी मानक लागू होंगे एवं इस हेतु पुनः नई अनापत्ति प्राप्त करनी होगी।

उपरोक्त समस्त प्रतिबन्धों/शर्तों का अनुपालन न किये जाने की स्थिति में अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने की संस्तुति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

संलग्नः- 1-मानचित्र एक प्रतियों में।
2-एनक्जर एवं चैक लिस्ट।
3-अधी0अभि0, रामपुर का पत्र सं0-60/20काम-रा0वृत/20-21 दि0 06.01.2021 के पत्र की छाया प्रति।

19/01/21
(डी0के0 मिश्रा)
मुख्य अभियन्ता

प्रतिलिपि :- अधीक्षण अभियन्ता, रामपुर वृत, लो0नि0वि0, रामपुर का पत्रांक-60/20काम-रा0वृत/20-21 दिनांक 06.01.2021 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

मुख्य अभियन्ता
मुरादाबाद क्षेत्र, लो0नि0वि0,
मुरादाबाद।

G:\Dk\World\Petrol Pamp doc

छायाप्रति प्रमाणित
सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0, बिजनौर

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
बिजनौर

अधिशासी अभियन्ता
प्रा0 खण्ड, लो0 नि0 वि0
बिजनौर

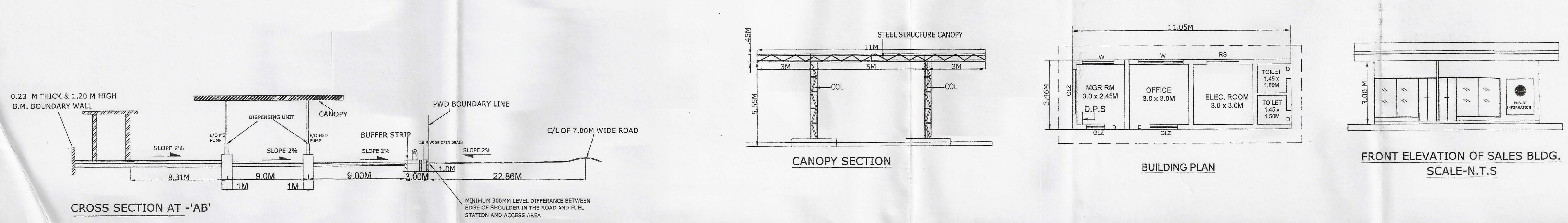

TANK SCHEDULE :-

TANK NO.	PRODUCT	CAPACITY
1	HSD	20KL
2	HSD	20KL
3	MS	20KL

PUMP SCHEDULE :-

PRODUCT	NO.OF PUMP	NO.OF NOZZLE
MS	2	2
HSD	2	2

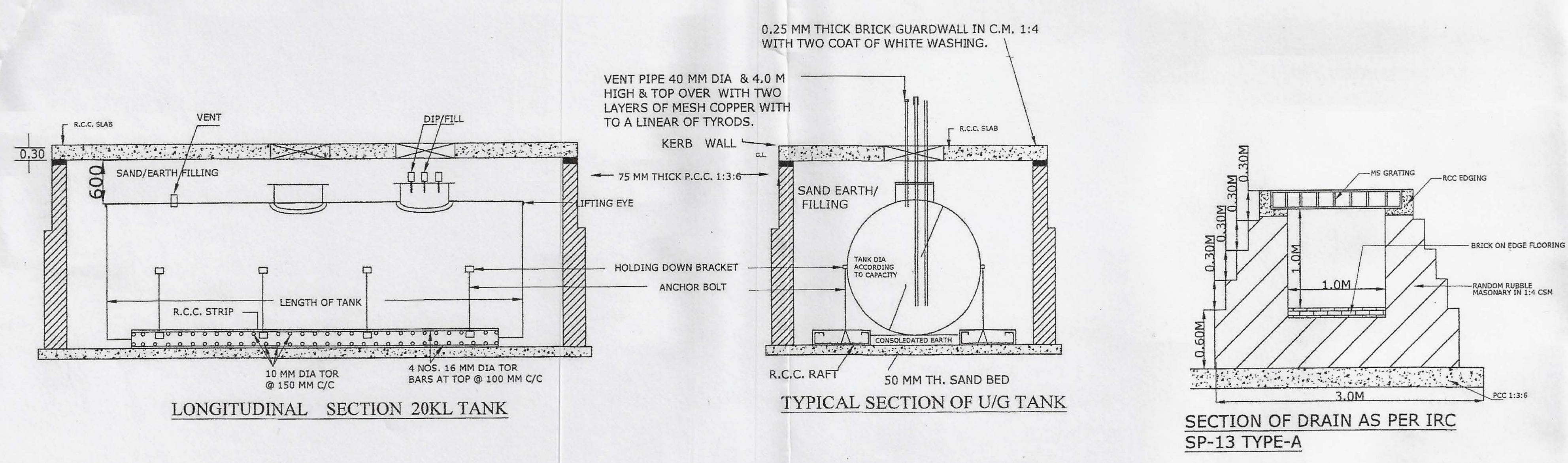

SPECIFICATION NOTES- I

1. CERTIFIED THAT NO OTHER STRUCTURE WILL BE ERECTED NOR ANY OTHER SERVICE RENDERED EXCEPT THAT CONNECTED WITH PETROL PUMP WITHOUT THE PRIOR APPROVAL OF P.W.D.
2. CERTIFIED THAT THERE IS NO CROSSING WITHIN 300M BETWEEN THE TANGENT POINTS OF THE CURVES OF SIDE ROAD AND THAT OF THE FUEL-FILLING CUM SERVICE STATION.
3. CERTIFIED THAT THERE IS NO OBJECTION FROM ROAD POINT OF VIEW FOR THE INSTALLATION OF THIS PUMP. THE PROPOSAL WILL NOT AFFECT THE FUTURE IMPROVEMENT OF THE ROAD.
4. CERTIFIED THAT NO OTHER PETROL PUMP EXISTS WITHIN THE DISTANCE OF 300M ON EITHER SIDE OF THE PLOT.
5. CERTIFIED THAT ALL CONDITIONS LAID DOWN BY THE GOVT. OF INDIA AND IRC FROM TIME TO TIME WITH REGARD TO THE LOCATION OF ROAD SIDE FUEL-FILLING CUM SERVICE STATIONS SHALL BE COMPLIED WITH & ENTIRE CONSTRUCTION WILL BE ON CORPORATION LAND.
6. NO DRAIN, SEWER OR STRUCTURE WITHIN 1.5M FROM UNDER GROUND TANKS.
7. SUCTION PIPES, UNDER DRIVEWAY HOUSED IN PIPE SLEEVES.
8. ELECTRIC FITTINGS CONFORM TO IS CODE NO- 2148 FOR DISPENSING PUMP ONLY.
9. DPS BOARD IS FIXED 1.5M HIGH FROM FLOOR LEVEL AND WILL NOT BE KEPT UNDER LOCK AND KEY.
10. 40MMØ VENT PIPES, 4M HIGH FROM GROUND LEVEL AND 4M CLEAR ALROUND. THE OPEN END OF VENT PIPE COVERED WITH TWO LAYERS OF NONE CORRODIBLE METAL WIRE GAUGE OF 11MESH PER LINIER CM.
11. 80MMØ FILL PIPES, TO BE PROVIDED 3.65M CLEAR ALL ROUND.
12. FIRE FIGHTING EQUIPMENT:-
    6 NOS .FOAM TYPE OF FIRE EXTINGUISHERS OF CAPACITY 9KG EACH FOR PETROLEUM FIRE, 2NOS CO2 TYPE FIRE EXTINGUISHERS OF CAPACITY OF 3KG EACH FOR FIGHTING ELECTRICAL FIRE AND 6NOS. OF FIRE BUCKETS FILLED WITH DRY SAND SHALL BE PROVIDED AT THE PETROL PUMP.
13. CERTIFIED THAT THERE WILL NOT BE ANY HINDRANCES FROM OVER HEAD HT LINES.
14. CERTIFIED THAT THE SURPLUS WATER WILL NOT BE DISPOSED OFF ON P.W.D LAND.
15. CERTIFIED THAT ALL THE CONDITIONS OF IRC-1983/2003 SHALL BE COMPLIED WITH.

IMPORTANT NOTES:-

1. CERTIFIED THAT THIS IS A NEW RETAIL OUTLET (KSK).
2. CERTIFIED THAT NO COURT CASE IS PENDING IN ANY COURT OF INDIA AGAINST THIS SITE/DEALERSHIP.
3. CERTIFIED THAT ALL THE CLEARANCES/APPROVALS FROM MCP/IRC AND OTHER RELEVANT GOVT. DEPTT. SHALL BE OBTAINED.
4. CERTIFIED THAT ALL FACILITIES AS SHOWN IN THE DRAWING SHALL BE INSTALLED/PROVIDED AT ABOVE R/O.
5. STEEL CANOPY APPROVAL NO. CCE G-40 (NC) P-CANOPY dt. 26.07.89.

SPECIFICATIONS FOR TANKS:-

1. MS TANK OF 20KL CAPACITY FABRICATED AS PER DRG. APPROVED BY CCE VIDE LETTER NO. P-6(3) 51 DATED 23.01.2007.

SITE INFORMATION

KHASRA NO.	24
VILLAGE	JYOTHI
ROAD	SH-12
TEHSIL	DHAMPUR
DISTT.	BIJNOR
STATE	U.P.
POLICE STATION	NEHTAUR
RAILWAY STATION	HALDAUR
PINCODE	2 4 6 7 3 3

REV. NO.	DESCRIPTION	DATE	REV. BY.	APP. BY.

INDIAN OIL CORPORATION LTD.
(MARKETING DIVISION)
MORADABAD DIVISIONAL OFFICE

PROJECT:- PROPOSED MS/HSD RETAIL OUTLET BETWEEN KM STONE 150 TO 153 ON SH 12 NEHTAUR - HALDAUR ROAD AT JYOTHI, DISTT.- BIJNOR (U.P.)

TITLE:- SITE & LAYOUT PLAN OF RETAIL OUTLET

DRAWN BY:- QASIM	DRG NO.:- RO/MDO/JYOTHI
SCALE:- AS SHOWN	DATE:- 16.07.2020
CHKD BY:- FIELD OFFICER	CHKD BY:- AM (ENGG.)
RECOMND BY:- SR MGR (RS)	APPRD BY:- CDRSM

CONSULTANT:- M/S ABHIKALPAN ENGINEERS
NEW DELHI
PH. 011-65001456, +91-8527237363

मुख्य मण्डल रिटेल सेल्स प्रबंधक/Chief Divisional Retail Sales Manager
मुरादाबाद मण्डल कार्यालय/Moradabad Divisional Office
इंडियन ऑयल कारपोरेशन लि0 (एम0डी0)
Indian Oil Corporation Limited (M.D.)
कोल्ड स्टोरेज के सामने दिल्ली रोड,एन.एच-24
Opp. Cold Store Delhi Road N.H-24
पो0 पाकबड़ा, मुरादाबाद 244102 (उ0 प्र0)
P.O. Pakbara Moradabad-244102 (U.P.)